उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 02.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता,पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

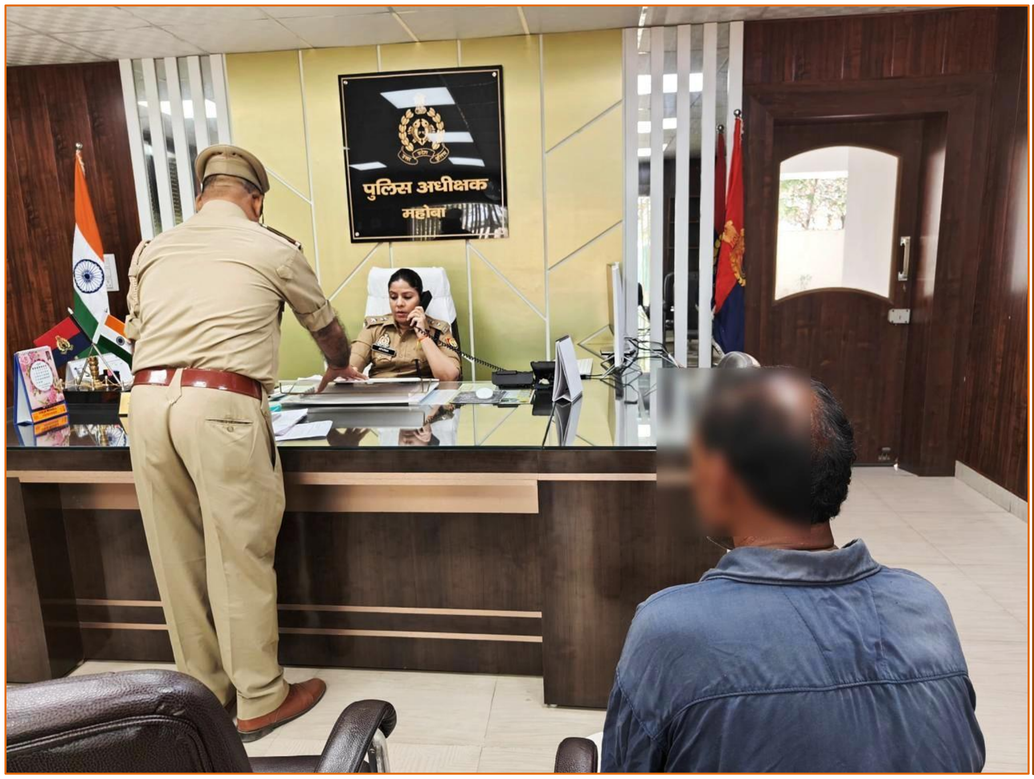

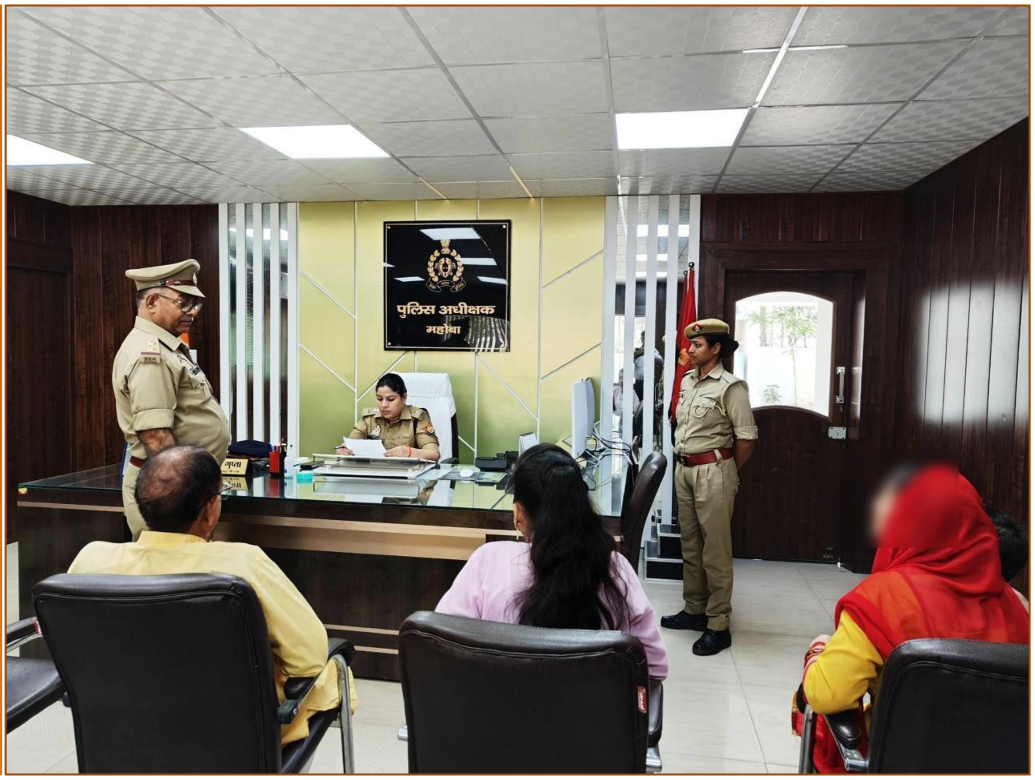

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 02.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर के विभिन्न संवेदनशील मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया।

क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शातिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार सहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न संवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्नरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रुप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ।

इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध मे मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।

जनपद महोबा में लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु महोबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए 03 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, अभियुक्तों के कब्जे से 10 अदद निर्मित/अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 06 अदद जिन्दा/खोखा कारतूस सहित भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के नेतृत्व/निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण, भयमुक्त माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा अपराध की रोकथाम हेतु जीरो टालरेंस नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध की जा रही ताबडतोड़ कार्यवाही के क्रम में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में गठित हुई थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम को आज दिनांक 02.04.2024 को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बरात पहाड़ी में अवैध रुप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री की सूचना पर दबिश दी गयी, दबिश के दौरान पुलिस टीम ने 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.राजू विश्वकर्मा पुत्र हरिया विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी कुल्हैण्डा थाना मझगवा जनपद हमीरपुर 2.संतोष पुत्र बृजगोपाल लोधी उम्र 26 वर्ष निवासी सगुनिया माफ थाना अजनर जनपद महोबा 3.बृजगोपाल पुत्र शिवदयाल लोधी उम्र 58 वर्ष निवासी सगुनिया माफ थाना अजनर जनपद महोबा जो अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, जिनको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तो के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व नियमानुसार कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. राजू विश्वकर्मा पुत्र हरिया विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी कुल्हैण्डा थाना मझगवा जनपद हमीरपुर,
2. संतोष पुत्र बृजगोपाल लोधी उम्र 26 वर्ष निवासी सगुनिया माफ थाना अजनर जनपद महोबा,
3. बृजगोपाल पुत्र शिवदयाल लोधी उम्र 58 वर्ष निवासी सगुनिया माफ थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण निम्नवत है:-

- 02 अदद देशी तमंचा बोर 315 -01 अदद तमंचा बोर 12
- 02 अदद अद्धी बोर 12 -01 अदद अद्धी बोर 315
- 01 अदद तमंचा बोर 32 -01 अदद अद्धी अधबनी बोर 12
- 01 अदद अद्धी अधबनी बोर 315 अदद ख 02 -ोखा कारतूस बोर 315
- 04 अदद जिन्दा कारतूस बोर 12 -01 बण्डल मे एक अदद बन्दूक एक नाली बोर 12
- भारी मात्रा में अवैध असलहा बनाने के नाजायज

गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में क्रमशः-

1.मु0अ0सं0 180/24 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. राजू विश्वकर्मा पुत्र हरिया विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष 2.संतोष पुत्र बृजगोपाल लोधी उम्र 26 वर्ष 3.बृजगोपाल पुत्र शिवदयाल लोधी उम्र 58 वर्ष

2. मु0अ0सं0 181/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजू विश्वकर्मा पुत्र हरिया विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष
3. मु0अ0सं0 182/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संतोष पुत्र बृजगोपाल लोधी उम्र 26 वर्ष
4. मु0अ0सं0 183/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम बृजगोपाल पुत्र शिवदयाल लोधी उम्र 58 वर्ष

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर अपराधी हैं, पूछताछ में बताया कि लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने के कारण तमंचो की काफी मांग है जिस कारण हम लोग दिन व रात में सुनसान स्थान पर बनी इसी झोपड़ी में चोरी छिपे अवैध शस्त्रो का निर्माण कर रहे थे, जिससे लोगो को हमारी आपराधिक गतिविधि का पता नहीं चलता था। शस्त्रों के निर्माण कर उनको चुनाव के दौरान अच्छे दामों में बेच कर मोटी रकम कमाने का इरादा था व क्षेत्र मैं भय व्याप्त करने के इरादे से अवैध शस्त्रों को बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए बनाकर बेचते है।

अभियुक्त राजू विश्वकर्मा का अपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं. 126/24 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
2. मु.अ.सं. 372/23 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
3. मु.अ.सं. 374/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
4. मु.अ.सं. 549/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।

अभियुक्त बृजगोपाल का अपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं. 549/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा 2. व0उ0नि0 सत्यपाल सिंह 3. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया 4. हे0का0 विकास सिंह 5.कां0 मुकेश सिह 6. का0 आशीष पाल 7. का0 अभिषेक पटेरिया 8. हे0का0 ज्ञानेन्द्र शर्मा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस/प्रशासन एवं अर्धसैनिक बल के साथ विभिन्न संवेदनशील स्थलों में संयुक्त रुप से फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया। क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का पालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा के नेतृत्व में केन्द्रीय पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न संवेदशील मिश्रित आबादी/मोहल्लो/ग्रामों, वल्नरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों पर संयुक्त रुप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों/अराजकतत्वों को भी चेक करते हुए सख्त हिदायत दी गयी।

- इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से वार्ता कर संवाद स्थापित किया गया एवं आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध मे मा0निर्वाचन आयोग के आदेशोंनिर्देशों से अवगत कराया गया तथा- क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।